न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–437/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00396)

1. शुभकरण पुत्र स्व. श्री बनवारी लाल,
2. सीताराम पुत्र स्व श्री बनवारी लाल,
3. गीगराज पुत्र स्व. श्री बनवारी लाल,
4. ताराचन्द पुत्र स्व. श्री बनवारी लाल,
5. श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी श्री रामोवतार,
6. श्रवण पुत्र रामोवतार,
7. कमलकिशोर पुत्र रामोवतार,
8. श्रीमती शान्ति देवी बेवा स्व. श्री हीरालाल,
9. दौलतराम पुत्र स्व. श्री हीरालाल, समस्त जाति माली, निवासी ग्राम मुकन्दगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्राधिकृत अधिकारी, (भूमि पुर्नग्रहण) नगरपालिका, मुकन्दगढ एवं तहसीलदार नवलगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. चेयरमैन नगर पालिका मुकन्दगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मुकन्दगढ, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
4. तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 08.05.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (भूमि पुर्नग्रहण) मुकन्दगढ एवं तहसीलदार नवलगढ के आदेश दिनांक 07.04.2001 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90 बी के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि खतौनी सम्वत् 208 के अन्तर्गत आराजी खसरा नम्बर 509 रकबा 0.94 हैक्टयर चाही खसरा नम्बर 720 रकबा 2.87 हैक्टयर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 791/512 रकबा 0.15 हैक्टयर बारानी खसरा नम्बर 825/512 रकबा 0.08 हैक्टयर बारानी कुल किता 6 कुल रकबा 5.60 हैक्टयर वाके ग्राम मुकन्दगढ़ अन्तर्गत तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू में स्थित है जिसका वार्षिक लगान 52.45 रूपये है जिसके साबिक खसरा नम्बर 312, 316, 317, 420 थे जिसके पूर्व कब्जे काश्तकार व खातेदार टिनेन्ट बनवारी लाल बल्द रामेश्वर जाति माली साकिन देह खातेदार थे, बनवारी लाल की मृत्यु होने के पश्चात यह आराजीयात विरासती नामान्तरकरण संख्या 70 के द्वारा बनवारी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पिसरान बनवारी लाल बहिस्सा बराबर हुआ इनमें रामोवतार व हीरालाल की भी मृत्यु हो चुकी है, रामोवतार व हीरालाल के हक व हिस्से की आराजीयात एकमात्र मालिक व स्वमी रामोवतार के जायज वारिस रामोवतार की धर्मपत्नी श्रीमती रूकमणी देवी व पुत्रें मे श्रवण कुमार व कमल कुमार है इसी भांति हीरालाल के हक व हिस्से की आराजीयात के एकमात्र मालिक व स्वामी व जायज वारिसान हीरालाल की पत्नी श्रीमती शान्ति देवी व एक पुत्र दौलतराम है, इस भांति इस मद में वर्णित आराजीयात के संयुक्त रूप से कब्जे काश्तकार व खातेदार टीनेन्ट है व राज्य सरकार को लगान अदा करते चले आ रहे है, उक्त आराजीयात अपीलार्थीगण की पैतृक व मौरूसी जायदाद है, इस आराजीयात से किसी भी व्यक्ति या संस्था का कोई लेना–देना व सम्बन्ध नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण अथवा इसके हक पूर्वाधिकारी द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात का द्वारा कृषि भूमि से अकृषि भूमि परिवर्तित कराने हेतु अथवा रूपान्तरण कराने हेतु किसी भी न्यायालय में कोई किसी प्रकार का आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है बल्कि प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका मुकन्दगढ एवं तहसीलदार नवलगढ़ ने बाले–बाले चुपचाप बिना अपीलार्थीगण अथवा उनके पूर्वाधिकारियों को नोटिस दिये बिना एवं बिना सूचित किये ही व बिना सबूत साक्ष्य लिये ही एवं बिना सुनवाई का लिये समुचित अवसर प्रदान किया बिना ही ग्राम मुकन्दगढ की अन्य भूमि के साथ अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी को आराजीयात भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(ख) में प्रदत्त शाक्तियों का अनाधिकृत प्रयोग करते हुये अपीलार्थीगण की राजस्व ग्राम मुकन्दगढ, तहसील नवलगढ के खसरा नम्बर 509 रकबा 0.94 हैक्टयर, खसरा नम्बर 791/512 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 825/508 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 826/512 रकबा 0.08 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.25 हैक्टयर का अपीलार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का पर्यवसान कर इसे राज्यहित में पुर्नग्रहित करते हुये भूमि को राज्यहित में पुर्नग्रहित होने के परीणामस्वरूप राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 80 के तहत नवीन संशोधनों के अनुसार नगर पालिका मुकन्दगढ का अधिकार स्वामित्व प्रोदमुत होना मानते हुये नगर पालिका मुकन्दगढ़ के नाम नामान्तरकरण खोले जानें के तहसीलदार मुकन्दगढ को द्वारा दिनांक 07.04.2001 पारित किये गये है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलर्थीगण व इनके पूवाअधिकारी द्वारा अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात के बेचान करने बाबत किसी व्यक्ति को अथवा किसी संस्था को अथवा किसी अन्य गृह निमार्ण सहकारी समिति को कोई अनुबन्ध पत्र अथवा कोई इकरारनामा तहरीर व तकमील नही किया है और ना ही किसी व्यक्ति को उक्त कार्यवाही करने हेतु अधिकृत ही किया गया है, और ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण व इनके पर्वाधिकारी द्वारा ना तो आराजीयात के सम्बन्ध

कोई अनुबन्ध पत्र अथवा इकरारनामा ही प्रस्तुत किया गया है और ना ही कोई किसी प्रकार का हस्तान्तरण या विक्रय पत्र आदि ही प्रस्तुत किया गया है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम मुकन्दगढ में अपीलार्थीगण व इनक पूर्वाधिकारी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को जैर दफा 90 बी की कार्यवाही विधि विरूद्ध की गई है, जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय न तो मौका जांच ही की है और ना ही जॉच करवायी गई है केवल मात्र सर्वेयर व हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न्यायोचित नही होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्राधिकारी अधिकारी ने बिना नोटिफिकेशन किये ही, बिना दैनिक समाचार पत्र में इसे प्रकाशित किये ही एवं धारा 90 बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही करने के नोटिस प्रकाशन पत्र में कराये बिना ही जो एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्राधिकृत अधिकारी (भूमि पुर्नग्रहण) नगर पालिका मुकन्दगढ़ एवं तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 07.04.2001 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें तथा अपीलार्थीगण की खातेदारी रूपान्तरतरित कृषि भूमि ग्राम मुकन्दगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू में स्थित खसरा नम्बर 509 रकबा 0.94 हैक्टयर, खसरा नम्बर 791/512 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 825/508 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 826/512 रकबा 0.08 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.25 भूमि को अकृषि भूमि में रूपान्तरित किया गया है उसे निरस्त करते हुये वापस कृषि भूमि में परिवर्तित करने के आदेश देते हुये भूमि का कृषि भूमि के रूप मे अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे तथा राजस्व रिकार्ड में भी अपीलार्थीगण के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलानट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथमतयः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी

जबकि पटवारी हल्का द्वारा प्रकरण में मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करना स्पष्ट नही है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट अंकित की गई है, द्वितीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारान को नोटिस जारी किये गये है किन्तु उक्त नोटिस किस व्याक्ति द्वारा प्राप्त किये गये है यह भी नोटिस पर प्राप्त रिपोर्ट तामील कुलिन्दा से जाहिर नही होता है जिससे उक्त तामिल को सम्यक तामील नही माना जा सकता एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही की जाकर निर्णय के फार्मेट के खाली स्थानों को भरकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो स्पीकिन्ग निर्णय की श्रेणी में नही आता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2001 विधि सम्मत प्रतीत नही होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका मुकन्दगढ तहसीलदार नवलगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.04.2001 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका मुकन्दगढ जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में बाद जॉच पुनः गुणवगुण पर विधि सम्मत निर्णय पास्ति करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।